नाबार्ड न्यूज़लेटर

खण्ड -21 मई 2010 संख्या - 2

संभाव्यतायुक्त ऋण योजना (पीएलपी) - 2011-12

यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंकग्राऊंड नोट के साथ पीएलपी प्रक्षेपों को दिनांक 31 अगस्त 2010 तक जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक को उपलब्ध करवाया जाय. मुद्रित दस्तावेज 30 सितम्बर 2010 तक तैयार हो जाएं और उसकी प्रतियाँ 10 अक्तूबर 2010 तक प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जाएं. पीएलपी कार्य जल्दी पूरा हो जाने पर नवम्बर/ दिसम्बर 2010 में राज्य ऋण संगोष्ठी आयोजित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं.
पहले की भांति एनएफएस और ओपीएस सहित सभी क्षेत्रों के भौतिक और वित्तीय आकलन अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) को उपलब्ध करवाए जाएँ.

''खाद्य और कृषि प्रसंस्करण'' नामक एक नया उप-अध्याय, अध्याय III .12 के नाम से पीएलपी में जोड़ा जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों, स्वंय सहायता समूहों, सहकारी संस्थाओं को ऋणों के संबंध में प्रक्षेप तैयार किए जाएं जहां ऐसे ऋण सीधे कृषि के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं. यद्यपि ऋण प्रवाह आंकड़ों की उपलब्धता और प्रेक्षपों के संबंध में, वर्तमान रिपोर्टिंग प्रणाली के कारण विसंगति आ सकती है तथापि कृषि क्षेत्र के हिस्से के रूप में 'खाद्य और कृषि प्रसंस्करण' उप-क्षेत्र के अंतर्गत प्रक्षेप तैयार करके इस संबंध में एक शुरूआत की जा सकती है. क्रियाकलाप सूची को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाए ताकि एकरूपता बनी रहे. तदनुसार, कृषि प्रसंस्करण जो अब तक एनएफएस अध्याय का हिस्सा था, अब कृषि क्षेत्र का हिस्सा होगा. अत: अनुबंध I (क्रियाकलापवार - खंडवार भौतिक और वित्तीय प्रक्षेप) में और क्षेत्र / उपक्षेत्र वार पीएलपी प्रक्षेपों के सारांश में भी उपयुक्त परिवर्तन किए जाएं.

पीएलपी 2011-12 के अध्याय तैयार करते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखा जाए :

- कमजोर वर्गों के लिए विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित कानून की पृष्ठभूमि में देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
- फसल चक्र और पुन:रोपण
- कृषि के अंतर्गत अधिक कृषि योग्य जमीन को लाना
- देश के पूर्वी क्षेत्रों - बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश (पूर्वी क्षेत्र), उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हरित क्रांति का विस्तार करना
- कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा में छोटे और सीमांत किसानों की भूमिका और महत्व
- तिलहन और दालों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना - चुनिंदा राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत वर्धित दाल उत्पादन कार्यक्रम
- छोटे रोमेन्थकों (रूमिनेन्टस्) और खरगोशों का समेकित विकास, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय में बूचड़खानों का आधुनिकीकरण/ स्थापना और 'पोल्ट्री इस्टेट' तथा मदर यूनिट्स की स्थापना
- चुनिंदा राज्यों के वर्षा पोषित क्षेत्रों में चुनिंदा गाँवों में दाल और तिलहन उत्पादक किसानों के लिए वारानी खेती का संवर्धन
- समुचित प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और उपयोग
- अतिदोहन और न्यायोचित उपयोग की कमी के कारण निरंतर तेजी से गिरते हुए जल स्तर को ऊपर लाना
- मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाना
- बड़े पैमाने पर आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग

- ✈ फसल के पश्चात का 'इंफ्रास्ट्रक्चर' सृजित करना - ग्रेडिंग, वैज्ञानिक तरीके से भंडारण, प्री कूलिंग, पैकेजिंग, परिवहन, शीत भंडारण, केनिंग, इत्यादि
- ✈ डेरी क्षेत्र - दुग्ध आपूर्ति और उत्पादन - में बढ़ते हुए अंतराल को पाटना
- ✈ कृषि हेतु समेकित दृष्टिकोण
- ✈ कृषि क्षेत्र के विकास हेतु ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश
- ✈ ग्रामीण अर्थव्यवस्था खासकर कृषि क्षेत्र में एमजीएनआरइजीए का प्रभाव

पीएलपी 100 पृष्ठों (ए-4 साइज पेपर) से अधिक नहीं होनी चाहिए.अध्याय -1 ''परिचय'' और अध्याय-11 ''नीतिगत पहलें और ऋण नवोन्मेष'' सीपीडी, प्रधान कार्यालय, द्वारा तैयार किए जाएंगे (राज्य विशिष्ट विषय क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संकलित और तैयार किए जाने हैं) और पीएलपी में शामिल करने हेतु सितंबर 2010 के प्रथम पखवाड़े में क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित किए जाएंगे.

(अधिक जानकारी के लिए देखें - संदर्भ सं.एनबी.सीपीडी.बीपीडी/473-508/बीपी 9/ 2010-11 दिनांक 21 मई 2010 परिपत्र सं.105/सीपीडी-03/2010)

प्राथमिक/शीर्ष/क्षेत्रीय बुनकर सहकारी समितियों आदि की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अल्पावधि ऋण सीमाएं - 2010-11 के लिए नीति

1. चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए राज्य सहकारी बैंकों को जिसमें (i) कपड़े के उत्पादन और विपणन के लिए प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों और (ii) कपड़े के उत्पादन और विपणन के लिए अलग-अलग व्यक्तियों ,हथकरघा बुनकर समूहों और प्रमुख(मास्टर)बुनकरों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं (iii)कपड़े की खरीद एवं विपणन/सूत के व्यापार के लिए शीर्ष/क्षेत्रीय बुनकर सहकारी समितियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्तपोषण के प्रयोजन से अल्पावधि ऋण सीमाओं की मंजूरी और सहकारी बैंकों को उपर्युक्त अल्पावधि ऋण सीमाओं की मंजूरी के मामले में नाबार्ड की नीतिगत मार्गनिर्देशों की समीक्षा की गई है और उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है. कुछ परिमार्जनों/संशोधनों को छोड़कर, वर्ष 2010-11 के मार्गनिर्देश 2009-10 के मार्गनिर्देशों जैसे ही हैं. महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन निम्नानुसार हैं :

2.(i) राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को ''अल्पावधि-बुनकर'' ऋण सीमा की प्रमात्रा वर्ष 2009-10 की तरह 31 मार्च 2010 की स्थिति में राज्य सहकारी बैंक की 'निवल' अनर्जक आस्तियों (Net NPAs) के स्तर पर आधारित होगी. राज्य सहकारी बैंक को पात्र जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए एक समेकित ऋण सीमा मंजूर की जाएगी, जिसकी राशि, राज्य सहकारी बैंक के निवल अनर्जक आस्ति स्तर के आधार पर, सामान्य पात्रता अथवा 2009-10 के दौरान नाबार्ड द्वारा मंजूर सीमा के समक्ष राज्य सहकारी बैंक द्वारा आहरित अधिकतम बकाया पुनर्वित्त (Maximum outstanding refinance) की राशि के बराबर होगी. पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कार्यरत बैंकों के लिए अनर्जक आस्ति मानदण्ड 5 प्रतिशत तक शिथिल किए जाएंगे. इसके अलावा, पूर्वी क्षेत्र अर्थात बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखण्ड के राज्य सहकारी बैंक पुनर्वित्त की स्वीकार्य सीमा के अलावा 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा के लिए पात्र होंगे.

(ii) यह भी निर्णय लिया गया है कि उन प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं हेतु वित्तपोषण के लिए,जहाँ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक धारा 11 का पालन नहीं कर रहे हैं (यदि शीर्ष सोसायटी के उप नियम अनुमति देते हैं तो)राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से शीर्ष समितियों को पुनर्वित्त प्रदान किया जाए.

3. **बैंककारी विनिमयन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 11 (1) का अनुपालन**:

(क) जिन राज्यों में राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक धारा 11 (1) का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और **जिन्होंने वैद्यनाथन समिति -1 के कार्यान्वयन के लिए सहमति ज्ञापन निष्पादित किया है,** वे पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे, भले

ही उनके छूट-आवेदन एक वर्ष से अधिक अवधि से भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार के पास लंबित हों किन्तु जिन बैंकों के लाइसेंस आवेदन पहले ही निरस्त कर दिए गए हैं, उन्हें कोई ऋण सीमा मंजूर नहीं की जाएगी.

(ख) जिन राज्यों **में** राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक धारा 11 (1) का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और **जिन्होंने वैद्यनाथन समिति -1 के कार्यान्वयन के लिए सहमति ज्ञापन निष्पादित नहीं किया है,उन** मामले में विचार किया जाएगा, बशर्ते उन्हें छूट दे दी गई हो अथवा उनके, नाबार्ड द्वारा अनुशंसित, छूट आवेदन एक वर्ष से अधिक अवधि से भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार के पास लंबित न हों.

4. प्राथमिक हथकरघा/बिजली-चालित करघा बुनकर सहकारी समितियों/शीर्ष बुनकर समितियों द्वारा कपड़े के उत्पादन और विपणन के लिए प्रदत्त कार्यशील पूँजी,**शीर्ष बुनकर समितियों द्वारा सूत के व्यापार के लिए**,व्यक्तिक बुनकरों,निष्क्रिय/अनर्जक सहकारी समितियों तथा हथकरघा बुनकर समूहों के सदस्यों और मुख्य(मास्टर) बुनकरों को प्रदत्त कार्यशील पूंजी वित्त पुनर्वित्त के लिए पात्र होगा.

5. पुनर्वित्त पर ब्याज की दर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी. उपर्युक्त दर समय-समय पर संशोधन के अधीन है.

6. मूलधन की चुकौती और ब्याज की अदायगी में चूक होने की स्थिति में, राज्य सहकारी बैंक, चूक की अवधि के लिए, चूक की राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज नाबार्ड को अदा करेगा. दण्डात्मक ब्याज की दरें समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं.

(सं.राबैं. उऋवि-नीति (बुनकर)/ 354 / ए.7(पी)/ 2010-11 दिनांक 21 मई 2010. परिपत्र सं.104/उऋवि- 5 /2010)

अल्पावधि सहकारी ऋण संस्थाओं (STCCS)में लेखापरीक्षा क्षमताओं को बढ़ाना - सांविधिक लेखापरीक्षकों को विनियोजन पत्र जारी करना

सहकारी सुधार पैकेज की प्रसंविदाओं के कार्यान्वयन के लिये 25 राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार और नाबार्ड के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद 14 राज्यों में राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियमों में संशोधन किया गया है ताकि सनदी लेखाकारों द्वारा सहकारी बैंकों की सांविधिक लेखापरीक्षा की जा सके. संबंधित सहकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा परिचालित पैनल में से सनदी लेखाकारों के चयन की स्वतंत्रता दी गई है.

नाबार्ड-जीटीजेड-ग्रामीण वित्तीय संस्था कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यवेक्षण विभाग, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और जर्मन टेक्नीकल कॉलेबरेशन के परामर्शदाताओं द्वारा आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों में अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना में लेखापरीक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर एक अध्ययन आयोजित किया गया. अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि बैंकों द्वारा सनदी लेखाकारों को जारी किये जाने वाले विनियोजन पत्र में बैंक की सांविधिक लेखापरीक्षा करते समय उनके द्वारा देखी जाने वाली कार्य की सूचीबद्ध मदें शामिल करने की कोई प्रणाली प्रचलन में नहीं थी. अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और नाबार्ड द्वारा अध्ययन दल की अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वयन हेतु मान ली गई हैं. अन्य बातों के साथ-साथ,अध्ययन दल ने यह भी सुझाव दिया है कि सहकारी बैंकों द्वारा सनदी लेखाकारों को जारी किये जाने वाले सांविधिक लेखापरीक्षक विनियोजन पत्र में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए. ये क्षेत्र उन क्षेत्रों के अलावा होंगे जो विद्यमान राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम में दर्शाये गये हैं -

- नकदी शेष और प्रतिभूतियों का सत्यापन
- बैंक के जमाकर्ताओं की जमाराशियों और लेनदारों की ऋण राशियों और देनदारों द्वारा देय राशियों का सत्यापन.
- अतिदेय ऋणों की जाँच
- बैंक की आस्तियों और देयताओं का मूल्यांकन
- लेखा प्रणाली और परिचालन में आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन तथा पाई गई कमियों को रिपोर्ट करना.

- ✈ खातों और संबंधित रिकार्डों की जाँच और वित्तीय विवरणों का सत्यापन तथा उन पर लेखापरीक्षकों के अभिमतों की अभिव्यक्ति
- ✈ बैंक के जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के साथ अनुपालन की उपयुक्तता (adequacy of compliance)
- ✈ बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यो का अनुपालन और उसकी पर्याप्तता
- ✈ ऋण और अग्रिमों के वर्गीकरण की समीक्षा तथा हानियों के लिए प्रावधानों की पर्याप्तता और आस्तियों के वर्गीकरण पर अभिमत.
- ✈ लागू विधियों, विनियमों, मार्गनिर्देशों / अनुदेशों के अनुपालन की समीक्षा और उल्लंघनों को रिपोर्ट करना और
- ✈ नाबार्ड द्वारा लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट(LFAR) पहले ही निर्धारित कर दी गई है.

(संदर्भ सं.एनबी.डॉस.एचओ.पीओएल/713/पी.163/2010-11 दिनांक 12 मई 2010. परिपत्र सं.98/डॉस.13/ 2010)

नाबार्ड-जीटीजेड- ग्रामीण वित्तीय संस्था कार्यक्रम - अल्पावधि सहाकारी ऋण संरचना के संबंध में लेखापरीक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर अध्ययन - महत्वपूर्ण सिफारिशें

अध्ययन दल ने अपनी अंतिम ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें सहकारी ऋण संरचना में लेखापरीक्षा प्रणाली की व्यवस्था में बदलाव के प्रभावों का आकलन शामिल है. अध्ययन दल की अधिकांश सिफारिशें नाबार्ड द्वारा सिद्धान्तत: मान ली गई हैं. कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जिन पर संबंधित राज्य सरकार और बैंकों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी है निम्नानुसार हैं :

- ✓ राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा निका की स्थापना ताकि लेखापरीक्षा कार्य बिना किसी सरकारी नियंत्रण अथवा प्रभाव के पूर्णत: स्वतंत्र रूप से किया जा सके.
- ✓ सभी सहकारी बैंकों द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) के संगत लेखा मानदंडों को अपनाया जाना.
- ✓ सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए एक मानकीकृत आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क का निर्धारण ताकि लेखापरीक्षक अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन नियंत्रणों के अनुपालन और उनकी पर्याप्तता पर विशेष रूप से अपनी टिप्पणी दे सके.
- ✓ सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए एक मानक लेखापरीक्षा नियमावली (मैन्युअल) तैयार करना.
- ✓ (i) जोखिम केन्द्रित आंतरिक लेखा परीक्षा जिसमें त्रैमासिक आधार पर सभी कार्यकलापों और सभी शाखाओं को शामिल किया जाए. (ii) छमाही ऋण पोर्टफोलियो लेखापरीक्षा (iii) वार्षिक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग / प्रणाली लेखापरीक्षा और (iv) वार्षिक सांविधिक लेखापरीक्षा के द्वारा लेखापरीक्षा नीतियों का पुन:अभिमुखीकरण करना.
- ✓ आंतरिक लेखापरीक्षकों को उसी बैंक/ प्राकृऋ समितियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त न किया जाए.
- ✓ बैंक सांविधिक लेखापरीक्षकों को उपयुक्त विनियोजन पत्र दें जिसमें संबंधित राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम में लेखापरीक्षकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अलावा कुछ और क्षेत्र भी शामिल किए जाएँ.
- ✓ सहकारी बैंकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को सनदी लेखकारों और विभागीय लेखापरीक्षकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले मानक और आश्वासन मानक (एएएस) 28 के अनुरूप मानकीकृत किया जाए और प्राकृऋ समितियों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए भी प्रारूप अपनाया जाए.
- ✓ विभागीय लेखापरीक्षकों की भावी भूमिका (जहाँ कहीं भी सनदी लेखाकार सहकारी बैंकों की सांविधिक लेखापरीक्षा और प्राकृऋ समितियों की विशेष लेखा परीक्षा करने की स्थिति में हैं) और सभी हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) के लाभ के लिए विभागीय लेखापरीक्षकों की निरंतर चलनेवाली भूमिका के लिए उचित मंच का संस्थानीकरण किया जाए.
- ✓ रखी जाने वाली लेखाबहियों को दर्शाते हुए सहकारी बैंकों और प्राकृऋ समितियों के उपनियमों में उचित संशोधन किया जाए.
- ✓ विभागीय लेखापरीक्षकों के व्यावसायिक विकास और कौशल उन्नयन के लिए आवधिक रूप से प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने और उसे प्रदान करने की आवश्यकता है.

नाबार्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक को अध्ययन दल द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर सहकारी बैंकों में एक आम लेखाप्रणाली तथा लेखापरीक्षा और आश्वासन मानक 28 को भी प्रारंभ करने के संबंध में पहले ही दिया है.

(संदर्भ सं.एनबी.डॉस.एचओ.पीओएल./715/पी.163/ 2010-11 दिनांक 12 मई 2010. परिपत्र सं.99/डॉस.14/2010)

डेरी और मुर्गीपालन जोखिम पूँजी निधि (वेंचर कैपिटल फंड)

दोनों योजनाएँ वर्ष 2010-11 के दौरान जारी रहेंगी तथा डेरी वीसीएफ के लिए रु.32.40 करोड़ एवं पोल्ट्री वीसीएफ के लिए रु.10.70 करोड़ की राशि भी आबंटित की गई है. पोल्ट्री के आबंटन में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रु.1.37 करोड़ की राशि भी शामिल है.

इल योजनाओं के अंतर्गत संवितरित किए गए ब्याज मुक्त ऋण की चुकौती की जानी है और उधारकर्ताओं से प्राप्त चुकौती की राशि में से 5/9वाँ हिस्सा नाबार्ड के पास प्रेषित करना है जिससे निधियों में इसे फिर से जमा किया जा सके. वसूलियों में सुधार लाने तथा अनुपातिक आधार पर चुकौती की राशियाँ नाबार्ड के पास प्रेषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए.

योजना के अंतर्गत सभी नियमित ऋणों से संबंधित ब्याज सब्सिडी के दावे किए जाने चाहिए.

(संदर्भ सं.एनबी.टीएसडी.200/सीसीएफ-4/2010-11 दिनांक 07 मई 2010. परिपत्र सं.96/टीएसडी-1/2010)

राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड (एनएफडीबी) - मत्स्यपालन विकास हेतु उपदान योजनाएँ

- बोर्ड ने भारत सरकार के अनुमोदन से तालाबों और टैंकों में गहन एक्वाकल्चर, मेरीकल्चर, कोस्टल एक्वाकल्चर, सीवीड कल्टिवेशन, फिश ड्रेसिंग सेंटर्स और सोलार ड्राइंग ऑफ फिश, घरेलू विपणन, डीप सी फिशिंग, ट्यूना फिशिंग आदि कई उपदान योजनाएँ प्रारंभ की हैं. इन कार्यक्रमों / योजनाओं के ब्यौरे तथा आवेदन पत्र के फोर्मेट्स एनएफडीबी की वेबसाइट www.nfdb.ap.nic.in में उपलब्ध है.
- इस योजना के तहत व्यक्तिश: लाभार्थी, कंपनियों/ कॉर्पोरेट फर्मों, स्वयं सहायता समूहों, मत्स्यपालन सहकारी समितियों, मत्स्यपालन संघों आदि को मामले के अनुसार 20% से 50% तक का उपदान दिया जाएगा. यह उपदान पश्चदाय होगा और इसकी ऋण सहबद्धता अनिवार्य नहीं होगी तथा इसके कार्यान्वयन का अनुप्रवर्तन संबंधित राज्य मत्स्यपालन विभाग द्वारा किया जाएगा.
- यह उपदान एनएफडीबी, हैदराबाद द्वारा संबंधित राज्य मत्स्यपालन विभाग, जो कि इसकी कार्यान्वयन एजेंसियाँ होंगी, के माध्यम से जारी किया जाएगा.
- नाबार्ड द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के तहत व्यक्तिश: लाभार्थियों को संवितरित सावधि ऋणों हेतु पात्र वित्तपोषक बैंकों को समय समय पर जारी अपनी पुनर्वित्त नीति के अनुसार वर्तमान में लागू ब्याज दर पर, बैंकों द्वारा वित्तपोषित की गई रकम के 100% की दर से पुनर्वित्त सहायता दी जाएगी.

(संदर्भ सं.एनबी.टीएसडी/एफएस3(3)/291/2010-11 दिनांक 17 मई 2010. परिपत्र सं.103/टीएसडी-2/2010)

केन्द्र क्षेत्र योजना - कृषि स्नातकों के द्वारा एग्री क्लिनिक और एग्री बिजिनेस सेंटरों की स्थापना

चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2010-11 के दौरान उक्त योजना जारी रहेगी.

(संदर्भ सं.एनबी.आईसीडी/606/ एसीएबीसी-4/2010-11 दिनांक 24 मई 2010. परिपत्र सं.106/आईसीडी-26/2010)

संपादकीय बोर्ड - एस.के.मित्रा, अमरेश कुमार, पी.एल.बेहेरा, डॉ.प्रकाश बक्षी और वी.रामकष्ण राव

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई-400 051 के लिए **बी.जयरामन** द्वारा संपादित और प्रकाशित